संख्या- 22/2022/ 829/78-2-2022-254एलसी /2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी,
अशोकमार्ग लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 जून, 2022

विषयः उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत मेसर्स अडाणी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4/ 2021/1792/78-2- 2020/254एलसी/2019 दिनांक 28 जनवरी 2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 अधिसूचित की गई है, जो अधिसूचना निर्गत होने से 05 वर्षों तक अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति/ संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, तक वैध है।

2- मेसर्स अडाणी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा भूखण्ड सं0 सी-24 से सी-30, सेक्टर-80, नोएडा में 50 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना के लिए लगभग रु 2713.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित करते हुए ''उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021'' के अन्तर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा मेसर्स अडाणी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड को भूखण्ड सं0 सी-24 से सी-30, सेक्टर-80, नोएडा में 50 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना हेतु ''उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021'' के अन्तर्गत रु 200 करोड़ से अधिक धनराशि का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार वित्तीय एव गैर वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

वित्तीय प्रोत्साहन			
विवरण	निवेशक द्वारा मांगी गई धनराशि	नीति के अधीन अनुमन्यता	अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन
ब्याज उपादान	50-00	नीति के प्रस्तर 7.1 (अ) के अनुसार:- प्रति वर्ष रु 10 करोड़ के प्रतिबन्ध सहित 7 वर्षो तक वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत तक जिसकी कुल सीमा प्रति पार्क रु 50 करोड़ होगी	वास्तविक आधार पर अधिकतम रू0 50.00 करोड़ तक अनुमन्यता
भूमि उपादान	17.66	नीति के प्रस्तर 7.1 (ब) के अनुसार:- मध्यांचल एवं पश्चिमॉचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने/ पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से	यह उपादान नीति की अधिसूचना के उपरान्त एल0ओ0सी0 प्राप्त करने वाले केवल प्रथम 3 डाटा सेन्टर पाक्र्स को प्रदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		भूमि क्रय करने ट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत कुल परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड़ए जो भी कम हो	किया जाएगा। द्वितीयडाटा सेन्टर पार्क के रूप में भूमि उपादान छूट की अनुमन्यता @25% of Rs 70.60 Cr. भूमि का मूल्य) Rs 17.66 Cr. जो कि कुल परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड़ से कम है, अतः नीति के अन्तर्गत अनुमन्य है।
स्टाम्प ड्यूटी	4.96	नीति के प्रस्तर 7.1 (स) के अनुसारः- भूमि के क्रय/ पट्टे हेतु प्रथम ट्रांजेक्शन (प्राधिकरण/ भू-स्वामी से डाटा सेन्टर पार्क को) पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन (डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई को) पर 50 प्रतिशत छूट। स्टाम्प शुल्क से छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जाएगी, जिसे वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात अवमुक्त कर दिया जाएगा।	वास्तवित आधार पर प्राप्त हो रही है।
दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति	–	नीति के प्रस्तर 7.1 (द) (i) के अनुसारः- राज्य में स्थापित प्रथम 3 डाटा सेन्टर पार्क्स को दोहरा ग्रिड विद्युत नेटवर्क प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम ग्रिड की लागत डाटा सेन्टर विकासकर्ता द्वारा वहन की जाएगी तथा द्वितीय ग्रिड की लागत ऊर्जा विभाग द्वारा वहन की जाएगी।	नीति के अन्तर्गत प्रथम तीन डाटा सेन्टर पार्क्स को अनुमन्य प्रोत्साहनों के अन्तर्गत, प्रथम डाटा सेन्टर पार्क के रूप में द्वितीय ग्रिड की लागत ऊर्जा विभाग द्वारा वहन किए जाने की अनुमन्यता।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.2 (द) (i) के अनुसारः- डाटा सेन्टर इकाइयों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।	यह प्रोत्साहन डाटा सेन्टर इकाईयों हेतु प्राविधानित है, अतः डाटा सेन्टर पार्क हेतु अनुमन्य नही है।
ट्रासमिशन तथा व्हीलिंग शुल्क	वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.1 (द) (ii) के अनुसारः- विद्युत ऊर्जा के इन्ट्रास्टेट (राज्य के अन्दर) उपयोग पर व्हीलिंग शुल्क/ ट्रांसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। इन्ट्रास्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली पर ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु व्हीलिंग शुल्क/ट्रांसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से	वास्तविक आधार पर देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात पर इन्ट्रास्टेट प्रणाली पर 5 वर्षों तक ट्रांसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी जो नीति की अवधि (5 वर्षों) के दौरान परिचालनरत/ आरम्भ हो गये हों।	
पूंजी उपादान	**20.00**	नीति के प्रस्तर 7.2 (अ) के अनुसार:- भूमि और भवन को छोड़कर स्थिर पूँजी निवेश (FCI) पर 7 प्रतिशत पूंजी उपादान रू0 20 करोड़ तक प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसका संवितरण प्रतिवर्ष रू0-2 करोड़ की सीमा तक 10 वर्षों की अवधि में किया जाएगा।	यह प्रोत्साहन डाटा सेन्टर इकाईयों हेतु प्राविधानित है, अत: डाटा सेन्टर पार्क हेतु अनुमन्य नहीं है।

4- निवेशक को ''उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021'' के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अनुमन्य सभी गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता होगी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निवेशक को अपनी इकाई की स्थापना हेतु मांगे गये उपरोक्त प्रोत्साहन निम्न शर्तों के अधीन होंगे:-

I. उक्त प्रोत्साहनों/ छूट की प्राप्ति के लिए ''उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021'' की अन्य सभी शर्तें/प्राविधान भी प्रभावी होंगे तथा प्रोत्साहनों की प्राप्ति के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 22/2021/1274/78-2-2020-254एलसी/2019 दिनांक 23 सितम्बर 2021 में विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में निहित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें लागू होंगी।

II. निवेशक द्वारा अपनी परियोजना की स्थापना के क्रम में समस्त प्रभावी स्थानीय कानूनों, अधिनियमों, सरकारी विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

III. निवेशक द्वारा सम्बन्धित विभाग/ संस्था /प्राधिकरण से प्रभावी कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार लागू सभी आवश्यक अनुमति/स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की जायेंगी।

IV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्गत सभी नियमों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों का यथाआवश्यकता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

V. ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021'' की व्यवस्था के अनुरूप, वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु दिनॉक 27 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर किये जाने वाले निवेश ही मान्य होंगे तथा इस अवधि में व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक है।

VI. निवेशक द्वारा समय-समय पर अथवा जब भी शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा आवश्यक हो, परियोजना की अद्यतन स्थिति प्रदान की जायेगी। शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित कोई और जानकारी मांगी जा सकती है और जब भी आवश्यकता होगी, निवेशक द्वारा उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

VII. निवेशक इकाई को 'उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021' के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय रियायतें उसके द्वारा किये गये स्थिर निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

VIII. इकाई द्वारा किये गये वास्तविक निवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय संस्थान/ बैंक द्वारा किये गये मूल्यॉकन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक देय प्रोत्साहन/ छूट अथवा उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आगणन में से जो भी निम्नतर हो, अनुमन्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

IX. निवेशक केन्द्र तथा प्रदेश शासन - दोनों से एक ही मद में वित्तीय प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

X. इकाई के स्थिर निवेश का आकलन एवँ इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ परियोजना मूल्यॉकन रिपोर्ट, इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वाह्य संस्था (सक्षम वित्तीय संस्थान/ बैंक) से अनिवार्य रूप से तैयार कराई जायेगी।

XI. वास्तविक पूँजी निवेश के आकलन हेतु वित्तीय लेखों financial statements के अतिरिक्त शासन द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए मूल्यॉकन एवं भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

XII. निवेशक के निवेश प्रस्ताव, परियोजना लागत, वित्तपोषण के माध्यम, टाइमलाइन्स इत्यादि में किसी परिवर्तन की दशा में, निवेशक द्वारा नोडल एजेन्सी को पूर्व सूचित किया जायेगा तथा निवेशक के अनुरोध पर नोडल एजेन्सी (आवश्यकता होने पर वाह्य संस्था) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और विचारार्थ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

XIII. इस नीति के तहत किसी भी शब्द अथवा प्राविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी संशय के स्पष्टीकरण/ समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

6- कृपया उक्त निर्णयों / दिशा निर्देशों से निवेशक को अवगत कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-22/2022/ 829 (1)/78-2-2022 –तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
13- अपर निदेशक/ महाप्रबन्धक , जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
14- गार्डफाइल

आज्ञा से,
बराती लाल
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in